न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

दावा संख्या — 113/2019
प्रविष्टि दिनांक— 10.10.2019
निर्णय दिनांक — 19.01.2021

उनवान

श्योराम उर्फ शिवराम पुत्र भागुता जाति बैरवा आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला टोंक राजस्थान

—वादी

बनाम

1. सीता पुत्री स्व0 केसरा जाति बैरवा आयु 34 वर्ष निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला टोंक राजस्थान
2. लाड पुत्री श्योराम उर्फ शिवराम जाति बैरवा आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला टोंक राजस्थान
3. तहसीलदार टोंक (लेण्ड होल्डर)

प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री एस0 मजहर आलम— अभिभाषक वादी
श्री अर्जूनलाल मीणा— पैरोकार सरकार

निर्णय

दावा—दुरूस्ती इन्द्राज

वाद पत्र में अंकित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादी के पूर्वज का शजरा निम्न प्रकार प्रस्तुत है —

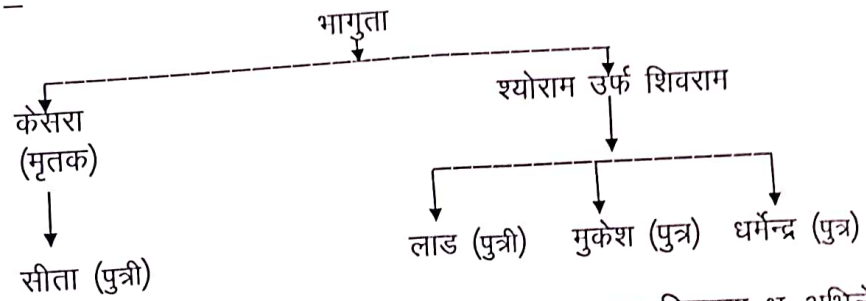

वादी के पिता भागुता के नाम ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का निरवाना भू—अभिलेख निरीक्षक सांखना तहसील व जिला टोंक में आराजी खसरा नम्बर 381 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला टोंक में स्थित थी। जिनके देहान्त के पश्चात यह जमीन उक्त शजरे के अनुसार 1/2 हिस्से का केसरा पुत्र भागुता हकदार था तथा 1/2 हिस्से का वादी श्योराम उर्फ शिवराम हकदार है, परन्तु रेवन्यू कर्मचारियों ने भागुता के वारिसान की उचित जांच किये बगैर ही उन्होने अपनी मनमर्जी से मृतक केसरा के हिस्से की 1/2 जमीन उसकी पुत्री सीता के नाम लगाने के बजाय केवल मात्र उसके नाम 1/4 हिस्से की जमीन ही राजस्व रिकार्ड में उसके नाम दर्ज की, जबकि कानूनन केसरा के देहान्त के पश्चात उसके हिस्से की 1/2 जमीन उसकी पुत्री सीता प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज करना चाहिए थी, क्योंकि मृतक केसरा के उसकी पुत्री सीता के अलावा उसका और कोई वारिस नही है। इसी प्रकार वादी के पिता भागुता के देहान्त के पश्चात उक्त आराजी का वादी 1/2 हिस्से का हिस्सेदार था, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने उक्त आराजी का वादी के नाम 1/2 हिस्से का इन्द्राज करने के बजाय गलती से केवल मात्र 1/4 हिस्से का इन्द्राज कर दिया तथा 1/2 हिस्सा का वादी का भाई मृतक केसरा हिस्सेदार था, परन्तु 1/2 हिस्से का

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

इन्द्राज गलती से लाड, सीता पुत्रीया भागुता के नाम कर दिया, जो गलत एवं गैर कानूनी है। क्योंकि लाड तो वादी की पुत्री है और सीता मृतक केसारा की पुत्री है, इसलिए वादी की मौजूदगी में लाड के नाम राजस्व रिकार्ड में किसी भूमि का कोई इन्द्राज करना कानूनन बिल्कुल गलत है, इसी प्रकार सीता को वादी के पिता भागुता की पुत्री बताते हुये उसके नाम भी रेवन्यू रिकार्ड में वादी के हक की जमीन का इन्द्राज कर दिया गया, जबकि सीता भागुता की बेटी न होकर केसारा की बेटी है इसलिए लाड एवं सीता पुत्री भागुता के नाम जो 1/2 हिस्से का इन्द्राज किया गया है, वह कानूनन बिल्कुल गलत है, बल्कि इसके स्थान पर सीता पुत्री केसारा के नाम जो 1/4 हिस्से का इन्द्राज किया गया है व 1/4 हिस्से के बजाय 1/2 हिस्से का इन्द्राज सीता पुत्री केसारा के नाम से करना चाहिये था तथा इसी प्रकार वादी के नाम जो 1/4 हिस्से का इन्द्राज किया गया है उसके बजाय वादी की पुत्री लाड एवं सीता के नाम जो 1/2 हिस्से का इन्द्राज किया गया है, उसके बजाय उसमें से 1/4 हिस्से का इन्द्राज वादी के नाम करके कुल 1/2 हिस्से का इन्द्राज वादी के नाम करना चाहिए था, जो नही किया गया, जिसकी वजह से अब इस गलती को दुरूस्त करते हुये आराजी खसरा नम्बर 381 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला टोंक का 1/2 हिस्से का इन्द्राज सीता पुत्री केसारा के नाम करवाया जावे तथा 1/2 हिस्से का इन्द्राज वादी श्योराम उर्फ शिवराम के नाम करवाया जाये। इसी प्रकार वादी के पिता भागुता के नाम ग्राम मीरगंज शेरपुर पटवार हल्का निरवाना भू–अभिलेख निरीक्षक सांखना तहसील व जिला टोंक में आराजी ख0नं0 199 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 431 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 490/485 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा दर्ज थी, जिसमें भागुता की मृत्यु के पश्चात 1/2 हिस्से का मालिक व हिस्सेदार केसरा पुत्र भागुता था तथा 1/2 हिस्से का मालिक व हिस्सेदार वादी श्योराम उर्फ शिवराम था और इसी प्रकार इन आराजीयात का रेवन्यू रिकार्ड में अमल दरामद होना चाहिए था, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने भागुता के वारिसान की उचित जांच किये बगैर ही उन्होने अपनी मनमर्जी से मृतक केसरा के हिस्से की 1/2 जमीन उसकी पुत्री सीता के नाम लगाने के बजाय केवल मात्र उसके नाम 1/4 हिस्से की जमीन ही राजस्व रिकार्ड में उसके नाम दर्ज की, जबकि कानूनन केसरा के देहान्त के पश्चात उसके हिस्से की 1/2 जमीन उसकी पुत्री सीता प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज करना चाहिए थी, क्योंकि मृतक केसरा के उसकी पुत्री सीता के अलावा उसका और कोई वारिस नही है। इसी प्रकार वादी के पिता भागुता के देहान्त के पश्चात उक्त आराजी का वादी 1/2 हिस्से का हिस्सेदार है तथा 1/2 हिस्से का वादी का भाई केसरा हिस्सेदार था, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने उक्त आराजी का वादी के नाम 1/2 हिस्से का इन्द्राज करने के बजाय गलती से केवल मात्र 1/4 हिस्से का इन्द्राज कर दिया तथा 1/2 हिस्सा का इन्द्राज गलती से लाड, सीता पुत्रीया भागुता के नाम कर दिया, जो गलत एवं गैर कानूनी है। क्योंकि लाड एवं सीता भागुता की बेटीया नही है, बल्कि सीता तो मृतक केसरा की बेटी है तथा लाड वादी की पुत्री है और वादी की मौजूदगी में लाड के नाम राजस्व रिकार्ड में किसी भूमि का कोई इन्द्राज करना कानूनन बिल्कुल गलत है, इसी प्रकार सीता को भागुता की पुत्री बताते हुये उसके नाम भी रेवन्यू रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया गया अर्थात लाड एवं सीता पुत्री भागुता के नाम जो 1/2 हिस्से का इन्द्राज किया गया है, वह कानूनन बिल्कुल गलत है, बल्कि इसके स्थान पर सीता पुत्री केसरा के नाम जो 1/4 हिस्से का इन्द्राज किया गया है वह 1/4 हिस्से के बजाय 1/2 हिस्से का इन्द्राज सीता पुत्री केसरा के नाम से करना चाहिये था तथा इसी प्रकार वादी के नाम जो 1/4 हिस्से का इन्द्राज किया गया है उसके बजाय लाड एवं सीता पुत्री भागुता के नाम जो 1/2 हिस्से का इन्द्राज किया गया है, उसे निरस्त करके उसके बजाय उसमें से वादी के नाम 1/4 हिस्से का इन्द्राज करके वादी के नाम कुल 1/2 हिस्से का इन्द्राज करना चाहिए था, जो नही किया गया, जिसकी वजह से अब इस गलती को दुरूस्त करते हुये आराजी खसरा नम्बर 199 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 431 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 490/485 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक का 1/2 हिस्से का इन्द्राज सीता पुत्री केसरा के नाम करवाया जावे तथा 1/2 हिस्से का इन्द्राज वादी श्योराम उर्फ शिवराम के नाम करवाया जाये। अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे– आराजी ख0नं0 381 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला टोंक में मौजूदा इन्द्राज के स्थान पर वादी के नाम 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या के नाम 1/2 हिस्से का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाये जावे। आराजी ख0नं0 199 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 431 रकबा 1 बीघा 18

खण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

बिस्वा, ख0नं0 490/485 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक में गौजूदा इन्द्राज के स्थान पर वादी के नाम 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम 1/2 हिस्से का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाये।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे अधिवक्ता वादी ने जमाबंदी संवत 2072–75 ख0नं0 381, नक्शा ट्रेश, गिरदावरी ग्राम लक्ष्मीपुरा व जमाबंदी संवत 2070–73 ख0नं0 199, नक्शा ट्रेश, गिरदावरी ग्राम मीरगंज शेरपुर, आधार कार्ड छायाप्रति, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर, प्रतिपक्षीगण को तलब किया गया। प्रतिपक्षी सं0 1व 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण को वाद पत्र के सभी चरण स्वीकार है। वादपत्र के अनुतोष अ और ब स्वीकार है वादी द्वारा चाही गई सहायता उसे प्रदान कर दी जाये तो हम प्रतिवादियागण को उसमें कोई ऐतराज नही है। डिक्री किये जाने मे प्रतिपक्षीगण को कोई आपत्ति नही है।

वादपत्र के संबध मे तहसीलदार टोंक से रिपोर्ट ली गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादी द्वारा ग्राम लक्ष्मीपुरा एवं मीरगंज शेरपुर में वादी द्वारा हिस्सा शुद्धि बाबत राहत चाही गई है वादपत्र में राजस्व कार्मिकों की गलती के संबंध कोई साक्ष्य यथा संबन्धित नामान्तकरण आदि नही पेश किये गये है। वाद पत्र में लाड व सीता पुत्रियों भागुता को पक्षकार क्यों नही बनाया इस संबंध में वाद में कोई उल्लेख नही है चरण सं0 3 में भूमि भागुता के नाम पूर्व में अंकित होने का वादी स्वयं द्वारा उल्लेख किया गया है ऐसी स्थिति में भूमि जरिये नामान्तकरण वर्तमान खातेदारान के नाम दर्ज हुई है नामान्तकरण एक न्यायिक प्रक्रिया है एवं न्यायिक निर्णयों के संबंध राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 में अपीलीय प्रावधान है अतः वादपत्र में राजस्व कार्मिकों की गलती के संबंध में कोई साक्ष्य नही होने, खातेदारान लाड व सीता पुत्री भागुता को पक्षकारान नही बनाये जाने, संबंधित अधिनियम धाराओं में वाद प्रस्तुत नही किये जाने के कारण वाद खारिज किये जाने योग्य है।

वादी ने तहसीलदार टोंक के उक्त जवाब का जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार की ओर से जो जवाब पेश किया है उसपर जवाब दावे के तथ्यों को सत्यापित करने की नियमानुसार कोई इबादत दर्ज नहीं की गई है, जिसकी वजह से कानूनी जवाब दावा चलने लायक नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। जवाब में जो एतराज उठाया गया है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादी के पिता भागुता के नाम थी या नहीं, इस संबंध में वादी की ओर से कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादी सं. 3 द्वारा यह जो ऐतराज किया गया है वह प्रथमतः तो उचित नहीं है इस प्रकार का ऐतराज केवल मात्र प्रतिवादी सं. 1 व 2 कर सकते है, द्वितीय वादग्रस्त भूमि का तहसीलदार से संबंध है। मुकदमें हाजा का सही एंव न्यायोचित निर्णय हेतु वादी स्वंय वादग्रस्त भूमि उसके पिता भागुता के नाम होने के संबंध में जवाबुल जवाब के साथ प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न पेश की जा रही है, अर्थात वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा की जमाबन्दी संवत 2056–59 के कॉलम नं. 2 कम सं. 40 एंव कॉलम नं. 4 में वादी के पिता भागुता पुत्र कामड बैरवा खातेदार के नाम अंकित है तथा इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम मीरगंजशेरपुर की जमाबन्दी सं. 2033–36 के कॉलम नं. 2 एंव 61 एंव कॉलम सं. 4 में वादी के पिता भागुता पिसरा कामड जाति बैरवा साकिन लक्ष्मीपुरा के नाम अंकित है। जिससे यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध है कि पूर्व में वादी के पिता भागुता ही अपने जीवन काल तक इस भूमि के मालिक काबिज खातेदार काश्तकार चले आ रहे थे ओर उनकी मृत्यु के पश्चात अब वादग्रस्त भूमि का वादी एंव वादी का भाई केसरा बहिस्सा बराबर अर्थात 1/2 से 1/2 हिस्से के मालिक काबिज चले आ रहे थे केसरा की मृत्यु के पश्चात उसकी एक मात्र बेटी सीता प्रतिवादिया नं. 1 बतोर उसके वारिस मालिक काबिज चली आ रही है। प्रतिवादी सं. 3 द्वारा अपने जवाब में यह लिखना गलत है कि सीता एंव लाड को पक्षकार नहीं बनाया गया, शायद प्रतिवादी सं. 3 ने वादी के दावे को ध्यानपूर्वक नहीं पढा अन्यथा वाह यह आपत्ति नहीं करते क्योंकि प्रतिवादी नं. व 2 बना रखा है।

वादी ने अपने वादपत्र के पक्ष मे जमाबन्दी संवत 2056–59, लक्ष्मीपुरा एंव मीरगंजशेरपुर तथा पी.डब्ल्यू–1 के रूप मे वादी श्योरामा का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता
(राज.)

इसके पश्चात वादपत्र पर अधिवक्ता आवेदक की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की।

हमने वाद पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक आवेदक की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा की जमाबन्दी संवत 2056–59 के कॉलम नं. 2 क्रम सं. 40 एवं कॉलम नं. 4 में वादी के पिता भागुता पुत्र कामड़ बैरवा खातेदार के नाम अंकित है तथा इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम मीरगंजशेरपुर की जमाबन्दी सं. 2033–36 के कॉलम नं. 2 एवं 61 एवं कॉलम सं. 4 में वादी के पिता भागुता पिसर कामड़ जाति बैरवा साकिन लक्ष्मीपुरा के नाम अंकित है। जिससे यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध है कि पूर्व में वादी के पिता भागुता ही अपने जीवन काल तक इस भूमि के मालिक काबिज खातेदार काश्तकार चले आ रहे थे और उनकी मृत्यु के पश्चात अब वादग्रस्त भूमि का वादी एंव वादी का भाई केसरा बहिस्सा बराबर अर्थात 1/2 से 1/2 हिस्से के मालिक काबिज चले आ रहे थे केसरा की मृत्यु के पश्चात उसकी एक मात्र बेटी सीता प्रतिवादिया नं. 1 बतौर उसके वारिस मालिक काबिज चली आ रही है। अतः उक्त आधार पर वादग्रस्त भूमि आराजी ख0नं0 381 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला टोंक में मौजूदा इन्द्राज के स्थान पर वादी के नाम 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या के नाम 1/2 हिस्से का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना एंव आराजी ख0नं0 199 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 431 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 490/485 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक में मौजूदा इन्द्राज के स्थान पर वादी के नाम 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम 1/2 हिस्से का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना उचित एंव न्यायसगंत है।

आदेश

फलतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त भूमि आराजी ख0नं0 381 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला टोंक में मौजूदा इन्द्राज के स्थान पर वादी के नाम 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्से का एंव आराजी ख0नं0 199 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 431 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 490/485 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक में मौजूदा इन्द्राज के स्थान पर वादी के नाम 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम 1/2 हिस्से का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर हिस्सा दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर, पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/01/2021 लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज०)

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(आ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, टोंक मुकाम टोंक व अलजाम नित्या के0, आई.ए.एस. द्वारा अध्यासित

उनवान

श्योराम उर्फ शिवराम पुत्र भागुता जाति बैरवा आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला टोंक राजस्थान —वादी

बनाम

1. सीता पुत्री स्व0 केशरा जाति बैरवा आयु 34 वर्ष निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला टोंक राजस्थान
2. लाड पुत्री श्योराम उर्फ शिवराम जाति बैरवा आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला टोंक राजस्थान
3. तहसीलदार टोंक (लेण्ड होल्डर) प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री एस0 मजहर आलम— अभिभाषक वादी
श्री अर्जुनलाल मीणा— पैरोकार सरकार

वाद पत्र बाबत— उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा

दावा नं0 113/2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि

वाद वादी स्वीकार किया जाकर दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त भूमि आराजी ख0नं0 381 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला टोंक में मौजूदा इन्द्राज के स्थान पर वादी के नाम 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 1/2 हिस्से का एंव आराजी ख0नं0 199 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 431 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 490/485 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक में मौजूदा इन्द्राज के स्थान पर वादी के नाम 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम 1/2 हिस्से का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर हिस्सा दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर, पालना से अवगत करावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19/01/2021 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

(नित्या के0)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मिजान		

नोट—इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।